न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

भंवरसिंह बनाम विक्रम सिंह आदि

किस्म मुकदमा T.I 212 RTAct मु. नं. 27/2016 वर्ष

दिनांक	आज्ञा-पत्र
14/6/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन अन्तर्गत धारा 212 के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 526/459 रकबा 0.38 हे0 वाके ग्राम -चुडौली पटवार हल्का खाखोली तहसील सीकर ग्रामीण सीकर मे अवस्थित है जिसकी खातेदारी संवत 2067 से 2070 मे इस प्रकार थी "अजब कंवर बेवाह बन्नेसिंह, भंवरसिंह, जीवणसिंह पुत्रगण बन्नेसिंह, प्रेम कंवर, कमलकंवर पुत्रीया बन्नेसिंह हिस्सा बराबर थी"। विवादित आराजियात मूल रूप से बन्ने सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चुडौली की खातेदारी थी जो विरासतन नामान्तरण संख्या 228 ग्राम -चुडौली अनुसार जमाबंदी मे दर्ज हुई। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 156, 157, 463 कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 हे0 वाके ग्राम -चुडौली की खातेदारी संवत 2067 से 2070 इस प्रकार थी "अजब कंवर बेवाह बन्नेसिंह, भंवरसिंह जीवण सिंह पुत्रगण बन्नेसिंह, प्रेम कंवर कमल कंवर पुत्रीया बन्ने सिंह हिस्सा 1/2, जीवण सिंह हिस्सा 1/4, ~~भ~~ भंवर सिंह हिस्सा 1/4 पुत्रगण बन्ने सिंह थी। उक्त कृषि भूमि मूल रूप से बन्ने सिंह पुत्र गोपाल सिंह हिस्सा 1/2 निवासी ग्राम -चुडौली की खातेदारी मे दर्ज थी जो नामान्तरण संख्या 228 ग्राम -चुडौली विरासतन दर्ज हुई। इसी प्रकार खसरा नम्बर 534/158, 536/159, 538/155 कुल किता 3 कुल रकबा 9.37 हे0 वाके ग्राम -चुडौली विरासतन नामान्तरण संख्या 228 ग्राम -चुडौली अनुसार जमाबंदी मे दर्ज हुई। इसी प्रकार प्रार्थी की माता अजब कंवर की मृत्यु दिनांक 3/1/12 को हुई। आवेदन मे प्रश्नगत कृषि भूमियो मे अजब कंवर की खातेदारी उनके पति बन्ने सिंह की मृत्यु से विरासत द्वारा प्राप्त हुई है। अजब कंवर की मृत्यु पर उनके खातेदारी अधिकार बन्ने सिंह के वारिसान भंवरसिंह व ~~विक्रमसिंह~~ जीवण सिंह को ~~ब~~ हिस्सा बराबर अन्तरित होगे लेकिन नामान्तरण संख्या 380 दिनांक 21/08/2013 के द्वारा विरासतन नामान्तरण द्वारा गलत रूप से प्रेम कंवर, कमल कंवर का हिस्सा अंकित कर दिया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) 2005 के मुताबिक धारा (6) मे जीवित पुत्रीयो को जीवन्त अन्य वारिशो के बराबर अधिकार दिनांक 09/09/2005 से प्रदान किये

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

दिनांक	आज्ञा-पत्र

गये। इसमे पूर्व मृत व्यक्तियो की पुत्रियो को पुत्रो के बराबर अधिकार नही दिये थे। इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया। इस सम्बन्ध मे प्रार्थी वकील ने साइटेशन पेश की जो इस प्रकार है।

(1) 2014 (1) RRT 509 Board of Revenue of Rajasthan Ajmer उनवान कमला देवी / चम्पालाल पैरा (7, 8, 9, 10)

(2) Civil Appeal No 7217 of 2013 Supreme Court of India उनवान प्रकाश आदि / फुलावती आदि - 16/10/2015

इस प्रकार प्रार्थी दरम्यान कृषि भूमियो मे अपने पिता से प्राप्त विरासतन खातेदारी अधिकार के मुताबिक खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया का मामला वास्तुपूर्ण है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। इस कारण तादौरान दावा अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबाधित किया जाना प्रार्थनीय है।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित अराजीयात स्व. बन्नेसिंह की रही है। उसकी मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरण उनके वारिसान मे विधिवत भरा गया है। इस प्रकार नामान्तरण संख्या 228 व 230 विरासत कानून के तहत भरे गये है। केवल मात्र जवाब दाता को हैरान परेशान करने की गरज से दावा प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही है खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रस्तुत साइटेशन - RRD 1997 उनवान Phusiya v Ram Bharosi - (10) 09/10/1996

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नं० 526/459, 156, 157, 463, 534/158, 536/159 व 538/155 वाके ग्राम चुडौली मे अवस्थित है जो पैतृक कृषि भूमिया है। जो मूल रूप से बन्नेसिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी चुडौली की खातेदारी मे थी जो विरासतन नामान्तरण संख्या 228, 380 ग्राम चुडौली द्वारा उनके वारिसान के खातेदारी मे दर्ज हुई है। प्रकरण मे प्रथम दृष्टया का मामला प्रार्थी के पक्ष मे सुदृढ है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। इसलिए तादौरान दावा / मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायालय न्यायोचित समझता है। अतः खसरा नं० 526/459, 156, 157, 463, 534/158, 536/159 व 538/155 वाके ग्राम चुडौली मे उभयपक्ष को तादौरान दावा / मूलवाद के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा से वर्तमान राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर